

प्रेषण,

सेवा में

जिला डेप्युटी शिक्षा अधिकारी
आजमेर ।

प्रत्यक्ष

न्यू हैम्प्टोन इनिवर्सिटी हाई स्कूल कुल्लुवर
आजमेर ।

पत्रा संख्या/7125-29 /2006-07 दिनांक 2-2-07

विषय:- इनिवर्सिटी हाई स्कूल की स्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में ।

संदर्भ,

शास्त्रादेश क्रमांक-646/15-6-97-1648/73/89 दिनांक 13 अगस्त, 1997 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यम स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को 1996-97 तक इनिवर्सिटी हाई स्कूल स्तर पर स्थायी मान्यता निम्नांकित प्रतिबंधों के साथ आदेश निर्गत विधि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंतिम अंश प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में तीन वर्ष मान्य होंगे। अतिरिक्त वर्षों की अनुमति तथा संबंधित हेतु पुष्कल से विद्यमानुसार स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि भविष्य में आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/तथ्यों में कोई कमी पर धिनी हार्ड एवं अभिलेखों में त्रुटि/गमी/असत्यता पायी जाती है अथवा नियम निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो प्रस्तुत स्थायी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी। यद्यपि फिर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। शास्त्रादेश में विहित मानक के अनुसार आपके विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षक-सहायक कर्मचारियों के निम्नांकित न्य. अनुमन्य होंगे ।

प्रधानाचार्य-04 पर, सहायक-04 पर, शिक्षक-04 पर, शिक्षक-विज्ञान तथा एक पर भाषा का होगा, शिक्षक-01 (स्व. पर) तथा कनिष्ठ केमी-01 (स्व. पर) = कुल-07। ताल पर की अनुमति होगी।

वित्त अनुमति में शिक्षा/प्रकार/हाण्ड अथवा सम्मिलित माने जायेंगे। शास्त्रीय/विद्यार्थीय आदेशों/निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहारण का अधिकारी अधिक, उच्च डेप्युटी शिक्षा अधिकारी को होगा।

प्रतिबंध:-

- 1- विद्यालय में अनुमति अथवा मान्य नहीं है। अनुमति अथवा मान्य नहीं जाय।
- 2- विद्यालय में निर्धारित मानक है मूल शीर्षक अनुमति जाय।
- 3- विद्यालय समिति की बैठक हो तथा उक्त नियम-2 पर स्वीकृति ली हो।
- 4- विद्यालय में शिक्षक एवं प्राध्यापक/प्राध्यापिका/अध्यापक हेतु अनुमति ली जाय।
- 5- विद्यालय में निर्धारित स्थायी कर्म/प्रभुत्व के विषय में अनुमति ली जाय। तथा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित धर्म के अनुसार ही मान्य किया जाय एवं स्वयं स्वयं निर्धारित का सेवा सुचित करने के लिए/प्राध्यापिका/अध्यापिका में पाठ्यक्रम में अनुमति दिया जाय।
- 6- विद्यालय में शिक्षा सामाजिक विकास/विद्यार्थीय अनुमति रूप से प्रदायी जायगी। विद्यालय में अनुमति प्राप्त/प्रभुत्व का प्रयोग नहीं किया जायगा। सभी धर्म के संबंधों का प्रयोग किया जाता अनुमति है।
- 7- जिला डेप्युटी शिक्षा अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था व्यवस्था न तो कोई स्थायी मान्य दिया जायगा, न स्वीकृति जायगी, और न समाप्त दिया जायगा और न ही स्थानान्तरित दिया जायगा।

सक्षीय

जिला डेप्युटी शिक्षा अधिकारी
आजमेर ।

पुनः-00000000

प्रतिनिधि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा के अनुसार एवं अथवा कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- जिला डेप्युटी शिक्षा अधिकारी, उच्च, आजमेर ।
- 2- मध्यम स्तर शिक्षा निदेशक, आजमेर ।
- 3- जिला स्थायी कल्याण अधिकारी, आजमेर ।
- 4- उच्च डेप्युटी शिक्षा अधिकारी, आजमेर ।

जिला डेप्युटी शिक्षा अधिकारी
आजमेर ।

सेवा में,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़ ।

सेवा में,

प्रधान
न्यू डेमोक्रेटिक ग्राहबिल स्कूल पुनवुर
आजमगढ़ ।

संक्रमांक आ.ग. / 5586-26 / 2003-04 दिनांक 29-11-03

विषय:- विद्यालय की आइसरी पाठशाळा की अस्थापी मान्यता प्रदान करने के संबंध में ।

संदर्भ:-

उपरोक्त विद्यालय आपके विद्यालय के मान्यता आवेदन-एच नर स्कूल वैसिक शिक्षा अधिकारी/पति उप विद्यालय निरीक्षक/उप वैसिक शिक्षा अधिकारी/ शिक्षा अधीक्षक, नरसरोवर आजमगढ़ की बरि अधिका एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति के विचारोपरान्त आपके विद्यालय को कक्षा/लेवलाड एक ग्राइसरी स्तर की अस्थापी मान्यता-2003-04 के निम्नांकित शर्तिकांशों के साथ प्रदान की जाती है। विद्यालय की अस्थापी मान्यता एक एक कक्षा लेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तों पूर्ण करते स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं कर लिया जाता। यदि शर्तिकांशों में आप क्वारा प्रस्तुत शर्तों एवं शर्तिकांशों में बरि करने पर किसी शर्तों में या शर्तिकांशों में क्विट/कमी/अस्थता आई जाती है अथवा निम्न शर्तिकांशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्रस्तुत अस्थापी मान्यता समाप्त पर की जाएगी। क्विले निम्न आप शर्तिकांशों उल्लंघनी होती ।

- 1- अस्थापी मान्यता का स्वीनीकरण करते करने की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु बरि एवं में अस्थापी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होता, तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित शर्तों की इन शर्तिकांशों में पूरा करना आवश्यक/अनिवार्य होता।
- 2- विद्यालय में सभी शर्तिकांश पूर्ण हो तथा मानक के अनुसार हो।
- 3- विद्यालय निर्मित परीक्षक हो तथा उस्ता कम-2 पर स्वीनीकरण हो।
- 4- विद्यालय में शर्तिकांशों में 500-1000/- एवं आगत पैसे में 50-2500/- बना हो, जो जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के पनाम में जमा हो।
- 5- विद्यालय के नाम आधा क्विट इति हो, जो विद्यालय के नाम में हो।
- 6- विद्यालय के शर्तिकांशों के विद्यालय में सभी शर्तिकांशों वैसिक उपकरण प्रदान हो तथा भूमि विद्यालय के लगे हो तथा अस्थापी-एक विद्यालय के पति हो।
- 7- विद्यालय के आगे हो हेतु 2000 मीटर इति हो, जो विद्यालय के नाम में हो।
- 8- विद्यालय के शर्तिकांशों द्वारा निर्धारित इति किया जाय तथा विद्यालय की किसी शर्तिकांशों शर्तिकांशों अस्थापी नहीं हो जाएगी।
- 9- विद्यालय में विद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग किया जाय तथा विद्यालय द्वारा कम-अपर निर्मित अस्थापी/निर्माण का पालन किया जाय।
- 10- विद्यालय निर्मित करने हेतु उपर्युक्त शर्तिकांशों अस्थापी हो। विद्यालय में सभी शर्तिकांशों के निम्न परसे अस्थापी बनाने जाय।
- 11- विद्यालय द्वारा मान्य वेतनम प्रदायकों को दिया जाय।

आजमगढ़,
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़ ।

सुधोअ.ग. / 5586-26 / 2003-04 दिनांक पूर्ण निर्मित हो।
प्रतिनिधि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1- उप वैसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ ।
2- जिला स्थायी अस्थापी अधिकारी, आजमगढ़ ।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़ ।